



## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- अजमेर में रेल्वे का कार्यालय अधीक्षक 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 23 नवम्बर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये सहीराम मीणा कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक, अजमेर को परिवादी से 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसका स्थानान्तरण अजमेर करवाने की एवज में सहीराम मीणा कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक, अजमेर द्वारा 1 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सतनाम सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री अनूप सिंह एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सहीराम मीणा पुत्र श्री मंगल मीणा निवासी सेंगरपुरा, तहसील व जिला करौली हाल निवासी रेल्वे क्वार्टर नं0 1525डी, कॉलोनी नं0 1, फ़ेजर रोड़, अजमेर हाल कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक, अजमेर को परिवादी से 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा परिवादी से पहले ही 40 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी, अजमेर के पुलिस अधीक्षक श्री समीर कुमार सिंह के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।